2. "मुख्यमंत्री मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना"

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की अधिसूचित मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत निर्मित मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसरों में अग्नि दुर्घटना में हुई क्षति के एवज में लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढतियों को मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना के प्राविधान निम्नवत् होंगेः–

1–अग्नि दुर्घटना का तात्पर्य

अग्नि दुघर्टना का तात्पर्य यह है कि बाह्य दृष्टिगत कारणों से अग्निकाण्ड हुआ हो अथवा तड़ित (लाईटिनिंग) प्राकृतिक बिंजली गिरने से आग लगी हो। इसी दशा में सहायता धनराशि दी जायेगी। किसी सार्वजनिक दंगे पर अग्निकाण्ड हुआ हो या स्वयं लाईसेंसी व्यापारियों एवं आढ़तियों द्वारा दुर्भावना से आग लगाई गयी हो, तो वह इस योजना में आच्छादित नहीं होगी।

2– योजना के नियम–शर्ते

(1) मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसर में अग्निकाण्ड दुर्घटना होने पर व्यापारियों एवं आढ़तियों को वास्तविक क्षति अथवा धनराशि रू0 2,00,000/–(दो लाख रूपये) जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में दी जायेगी।

(2) योजना में मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसरों में कार्यरत ऐसे लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा दुकान अथवा स्थान आवंटित किया गया है, को ही अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता राशि अनुमन्य होगी।

(3) दुकान अथवा स्थान आवंटन स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसका निराकरण न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होगा। अन्य प्रकार के विवाद की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा निराकरण के आधार पर दावा–प्रपत्रों का निस्तारण किया जायेगा।

(4) अग्निकाण्ड सहायता सम्बन्धी प्राप्त दावा प्रपत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।

3–अग्निकाण्ड दुर्घटना में क्षति का आंकलन

मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल के परिसरों में अग्निकाण्ड दुर्घटना में व्यापारियों एवं आढ़तियों को हुई क्षति का आंकलन निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगाः–

5. सम्बन्धित मण्डी समिति का सभापति।
6. सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी।
7. सम्बन्धित मण्डी समिति का सचिव।
8. सम्बन्धित क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 का अवर अभियन्ता से अन्यून अधिकारी।

4–दावा निष्पादन/निस्तारण हेतु प्रक्रिया

1– अग्निकाण्ड दुर्घटना योजना में सहायता प्राप्त करने हेतु प्रभावित व्यापारी अथवा आढ़ती को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव अथवा सभापति को देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में सचिव की संस्तुति पर सभापति, मण्डी समिति की अनुमति पर 60 दिन अतिरिक्त समय सीमा बढाई जा सकेगी।

2– आवेदन पत्र की जॉच मण्डी समिति के सचिव स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ मण्डी सहायक से अन्यून किसी कर्मचारी से स्थलीय जॉच अनिवार्य रूप से करायेंगे तथा उपरोक्तानुसार गठित समिति से क्षति का आंकलन कराकर जॉच कार्य पूर्ण कर सम्बन्धित मण्डी समिति के सभापति को दावा आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3– मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त सभापति, मण्डी समिति से स्वीकृत उपरान्त लाभार्थी को भुगतान रेखांकित चेक/बैक ड्राफ्ट के माध्यम से मण्डी समिति द्वारा किया जायेगा।

4–योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करके दावा निस्तारण एक माह में कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में सचिव

की संस्तुति पर सभापति, मण्डी समिति द्वारा दो माह तक का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार सहायता योजनाएं दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगी। योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयों एवं विसंगतियों के निराकरण करने का अधिकार निदेशक, मण्डी परिषद को होगा। निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।